प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वनसंरक्षक द्वाराभरा जाएगा)

1.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	: जनपदउत्तरकाशीब्लॉक–मोरीमेंदीनदयालउपाध्याय ग्रामज्योति योजनामेंग्राम–डाटमीरके विद्युतीकरणहेतु 11 के0वी0 विद्युतलाईन के निर्माणकाकार्य।
	(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	: उत्तराखण्ड
	(ii) जिला	: उत्तरकाशी
	(iii)जिलावनप्रभाग	: उप निदेशक, गोविन्दवन्य जीवविहार, पुरोला, उत्तरकाशी
	(iv)पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमिका क्षेत्र	: 0.95 हे0
2.	पूर्वेक्षण के लिए पहचानीगईवनभूमिं की विधिकप्रास्थिति	: वनविभागकास्वामित्व
3.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावितवनभूमिमेंउपलब्धवनस्पतिकाब्यौरा	:
	(i) वनस्पतिका धनत्व	:
	(ii) प्रजातिवारस्थानीय या वैज्ञानिकनामऔरगिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	: सूचनासंलग्न
	(iii) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीवन	: सूचनासंलग्न
4.	भूमि के लिए कार्यकरण योजनाकानुस्खा	: सूचनासंलग्न
5.	भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षणहेतुउपयोग की जानेवालीवनभूमि की स्थलाकृतिऔर क्षीणतापरसंक्षिप्त टिप्पणी	: रिपोर्टअनुसार
6.	वनभूमि की सीमासेपूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की लगभगदूरी	: वनभूमि के अन्तर्गत
7.	वन्य जीव की दृष्टिसेपूर्वेक्षणमेंउपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की महत्ता	: लागूनहीं
8.	पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि के लगभगविद्यमानवन्यजीवकाब्यौरा	: लागूनहीं
	(i)क्याराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवअभ्यारणजैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्ररिजर्व, हाथीकोरीडोरवन्यजीवअत्प्रवासगलियारेआदि के भागकानिर्माणकरतेहैं (यदि ऐसाहैतो क्षेत्र के ब्यौरेऔरउपाबद्ध किए जानेमेंमुख्य वन्य जीववार्डन की औरटीकाटिप्पणियोंउपाबद्ध की	:

जाएं)

(ii)क्याकिसीराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवअभ्यारणजैव क्षेत्र आरक्षणव्याघ्ररिजर्व, हाथीगलियारेपूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की सीमासेदसकि.मी. के भीतरअवस्थितहै। (यदि ऐसाहै, तो क्षेत्र के ब्यौरेऔरमुख्या वन्य जीववार्डन की टीका–टिप्पणियोंउपाबद्ध की जाए) : हां

(iii)क्याराष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवअभ्यारणजैव क्षेत्र आरक्षणव्याघ्ररिजर्व, हाथीगलियारेवन्य जीवउत्प्रवासआदिपूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की सीमासे एक कि.मी. के भीतरअवस्थितहै। (यदि ऐसाहै, तो क्षेत्र के ब्यौरेऔरमुख्या वन्य जीववार्डन की टीका–टिप्पणियोंउपाबद्ध की जाएं) : नहीं

(iv)क्या क्षेत्र मेंवनस्पतिऔरजीवजन्तु के अलग या खतरेमेंअलगकिस्म के खतरे की प्रजातियांहैं, यदिहैंतोउसकेब्यौरे : नहीं

9. क्या क्षेत्र मेंकोईसंरक्षितपुरातत्वीय या विरासतस्थल या प्रतिरक्षात्मकस्थापन या कोईमहत्वपूर्णसंस्मारकअवस्थितहै (यदि ऐसाहैतोउपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षमप्राधिकारीसेअनापत्तिप्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथउसकाब्यौरा दें) : नहीं

10. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारेमेंटीकाटिप्पणियांदें : न्यूनतमभूमिकीमांग की गईहै।

(i)क्याभाग– 1 के पैरा 6 औरपैरा 7 मेंप्रयोक्ताअभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावितवनभूमि की अपेक्षाअपरिहार्यहैऔरपरियोजना के लिए अतिन्यूनतमहै। : हाँ।

(ii) यदिनहीं तो वनभूमि के सिफारिशकिए गए क्षेत्र जिसकेपूर्वेक्षण के लि ए उपयोगकियाजासकताहै। :

11. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्याअधिनियम या अधिनियम के अधीनमार्गदर्शकसिद्धांतों के अतिक्रमणमेंकिसीकार्यकोकियागयाहै (हां/नहीं) : नहीं

(ii) यदिहां, की गईकार्यअवधि, अतिक्रमणमेंअंतर्वलितवनभूमि, अतिक्रमण के : लागूनहींहै।

लिए उत्तरदायीव्यक्ति (यों) कानाम, पतेऔरपदनामसहितअतिक्रमण के ब्यौरेऔरअतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायीव्यक्तियों के विरूद्ध की गईकार्यवाही

(iii)क्याअतिक्रमणमेंकार्यअबभीप्रगतिमेंहै (हां/नहीं) : नहीं

12. क्षतिपूरकवनरोपणस्कीम के ब्यौरे : क्षतिपूरक वृक्षारोपणसंलग्नहै।

(i) क्षतिपूरकवनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गईवनभूमि की विधिकप्रास्थिति। : संलग्नहै।

(ii)अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरकवनरोपण क्षेत्र के लिए पहचानकिए गए गैरवन क्षेत्र या अवनतवनजैसेव्यौरेदें। : संलग्नहै।

(iii) क्षतिपूरकवनरोपण क्षेत्र के लिए पहचानकिए गए गैरवनीकरण या अवनतवनदर्षितकरनेवाले 1:50,000 माप के मूलमेंस्थलपरतभारतकासर्वेक्षणऔरसामीप्य वनसीमाएंसंलग्नहै। : संलग्नहै।

(iv) रोपित की जानेवालीप्रजातियोंकार्यन्वयनअभिकरण, समय सूची, लागतसंरचनाआदिसहित क्षतिपूरकवनरोपणस्कीम के ब्यौरेसंलग्नहैं। (हां/नहीं) : हाँ।

(v) क्षतिपूरकवनरोपणस्कीम के लिए कुलवित्तीय उपरिव्यय : संलग्नहै।

(vi)क्या क्षतिपूरकवनरोपण के लिए औरप्रबंधन के दृष्टिकोणोंसेपहचानकरकिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारेमें संबद्ध उपवनसंरक्षकसेप्रमाण–पत्र संलग्नहैं। (हां/नहीं)। : हाँ।

13. वनस्पतिऔरजीवजंतुपरप्रस्तावितक्रियाकलापों के समाधातसेसम्बन्धितमहत्वपूर्णतथ्य प्रकाशमेंलानेवाले उप वनसंरक्षक की स्थलनिरीक्षणरिपोर्टसंलग्नहै (हां/नहीं)। :

14. प्रभाग/जिलाप्रोफाइल : उत्तरकाशी

(1) जिलाकाभौगोलिक क्षेत्र 844792.45 हे0 .....हे0

(2) जिलाकावन क्षेत्र 89379.7110 हे0

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से 540 :

(4) वनेत्तरप्रयोगमेंलायागयाकुल क्षेत्र 1653.08 है0

15. स्वीकृति या अन्यथाकारणो के साथप्रस्ताव के लिए उप वनसंरक्षक की विनिर्दिष्टसिफारिशों : स्थानीय जनता की सुविधाओं एवं क्षेत्र के विकासकोमद्देनजर रखतेहुयेवनभूमिहस्तान्तरण की संस्तुति की जातीहै।

हस्ताक्षर

नाम (आर0पी0 मिश्रा)

शासकीय मोहर उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0 पा0
पुरोला, उत्तराखण्ड

स्थान: पुरोला

तारीख: 25/4/2018

(5) 1980 सेजिला / प्रभागमेंनिर्धारितकुलप्रतिकूलवनीकरण :

(क) दण्ड के रूपमेंप्रतिपूरकवनीकरणसहितवनभूमि :

(ख) वनेत्तरभूमिपर .... तकप्रतिपूरकवनीकरणमेंहुईप्रगति :

(अ) वनभूमिपर :

(ब) वनेत्तरभूमिपर :